हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 21 सितम्बर, 2016

संख्या वैब 20/एस0टी0–I/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2016. – संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ख तथा ग में बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता हैं, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है ।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाइट डब्लयू डब्लयू डब्लयू डॅाट हरियाणा टैक्स डॅाट गोव इन पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों यदि कोई हों, सहित जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा संशोधन प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी तथा अन्तिम अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगाः–

संशोधन प्रारूप

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में,

1 अनुसूची ख में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 49 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

"49क	कैंसर के रोगनिदान में उपयोग हेतु टैक्नीशियम 99M जैनरेटर"

2 अनुसूची ग में, खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 102(69) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"102(69)	रेडियोएक्टिव कैमिकल एलिमेन्टस तथा रेडियोएक्टिव आईसोटोपस (फिसाईल कैमिकल एलीमैन्टस तथा आईसोटोप्स सहित) तथा इन उत्पादों से युक्त उनके कम्पांउडस; मिक्सचरस तथा रैजीड्यूज़ **किन्तु कैंसर के रोगनिदान में उपयोग हेतु टैक्नीशियम 99M जैनरेटर शामिल नहीं है**	2844:00:00 "।

अनुराग रस्तोगी
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 21st September, 2016

No. Web. 20/ST-1/H.A. 6/2003/S.59/2016. – The following draft of amendment which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), in Schedule, B and C appended to said Act, is published below for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of amendment shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of ten days from the date of uploading of this notification on the official web site www.haryanatax.gov.in together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana Excise and Taxation Department, Chandigarh from any person with respect to the draft of amendment before the expiry of the period so specified and shall take effect with effect from date of publication of final notification, namely :-

DRAFT AMENDMENT

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003),-

1 in Schedule B, under columns 1 and 2, after serial number 49 and entry thereagainst, the following serial number and entires thereagainst shall be inserted, namely:-

“49A Technetium 99M Generators for use in diagnosis of cancer”

2 in Schedule C, under columns 1 and 2, for serial number 102(69) and entry thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“102(69)	Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile chemical elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues containing these products **but not including Technetium 99M Generators for use in diagnosis of cancer**	2844:00:00”.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.